प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

सदोष परिरोध व बन्धुवा मजदूर उन्मूलन अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को हुई अर्थदंड की सजा

दिनांक: 28.09.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में दिनांक 27.09.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर 10,000/- रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना रामकोट से सम्बन्धित मु0अ0सं0 68/94 धारा 323/342/504/506 भादवि व 16 बन्धुवा मजदूर उन्मूलन अधिनियम में दोषसिद्ध अभियुक्त तीरथराम पुत्र कल्लेराम सतनामी निवासी ग्राम सेवार थाना चकरभाटा जनपद बिलासपुर मध्यप्रदेश में रामकोट पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 27.09.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-10 सीतापुर द्वारा अभियुक्त तीरथराम उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 323/342/504/506 भादवि व 16 बन्धुवा मजदूर उन्मूलन अधिनियम में 10,000/- रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

....